पत्रांक –3/एम०–45/2022सा०प्र० 12897/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

गुफरान अहमद

सरकार के उप सचिव।

ई–मेल सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव

सभी विभागाध्यक्ष

पुलिस महानिदेशक

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 28.7. 2022

विषयः– संविदा नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति में अधिमानता दिये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–1003 दिनांक–22.01.2021 द्वारा संविदा नियोजन की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धान्त निरूपित किया गया है।

2. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–2401 दिनांक–18.07.2007–सहपठित–संकल्प ज्ञापांक–1003 दिनांक–22.01.2021 के प्रावधान के तहत संविदा नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति में अधिमानता दियें जाने के संबंध में संकल्प ज्ञापांक–1003 दिनांक–22.01.2021 की कंडिका–4(4) का प्रावधान निम्नवत् है–

(4) नियमित नियुक्ति में अधिमानता– नियमित नियुक्ति किये जाने के क्रम में संविदा नियोजित कर्मियों को नियुक्ति की प्रक्रिया में निम्नांकित अधिमानता (weightage) दी जायेगी–

(i) संविदा के आधार पर पूर्व में अभ्यर्थी द्वारा प्रतिवर्ष की गयी संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम पाँच अंक प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिमानता (किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यदिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा) दी जायेगी।

(ii) संविदा नियोजन के फलस्वरूप किये गये कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जायेगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जायेगा।

(iii) सभी विभाग द्वारा उनके नियंत्रणाधीन सेवा/संवर्ग नियमावली में अधिमानता से संबंधित उपर्युक्त उप–कंडिका–(i) एवं (ii) के अनुरूप संशोधन कर लिया जायेगा।

परन्तु (i) उक्त वर्णित उम्र सीमा में शिथिलीकरण एवं कार्य अनुभव के आधार पर नियुक्ति में अधिमानता का लाभ सिर्फ उसी पद पर नियमित नियुक्ति के समय दिया जायेगा जिस पद पर संविदा नियोजन के तहत कार्य किया गया हो।

(ii) जहाँ तक अनुभव के आधार पर अधिमानता का प्रश्न है, अधिमानता देते समय अधिकृत विनियामक संस्थाओं अथवा विष्वविद्यालय अनुदान आयोग, एवं अखिल भारतीय तकनीकी षिक्षा परिषद आदि द्वारा निर्धारित मार्गदर्शन को ध्यान में रखना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में जिन मामलों में इन अधिकृत विनियामक संस्थाओं के द्वारा दिये गये मार्गदर्शन लागू हैं उनमें नियुक्ति की योग्यता एवं अधिमानता आदि मार्गदर्शन के अनुरूप ही होगी।

(iii) परन्तु यह भी कि उम्र सीमा में शिथिलीकरण का लाभ वैसे मामलों में नहीं दिया जा सकेगा, जहाँ कानून/नियुक्ति नियमावली के तहत उसकी अनुमति न हो। उदाहरण के लिए पुलिस की नियुक्ति अथवा कई अन्य मामलों में उम्र सीमा में शिथिलीकरण की अनुमति कानून/नियुक्ति नियमावली नहीं देता है। अतः ऐसे मामलों में उम्र सीमा में शिथिलीकरण का लाभ देय नहीं होगा।

3. अतः अनुरोध है कि संविदा नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति में अधिमानता दिये जाने संबंधी उपर्युक्त प्रावधान से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को अवगत कराते हुए तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया जाय। साथ ही यदि संबंधित सेवा/सम्वर्ग नियमावली में संविदा नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति में अधिमानता दिये जाने से संबंधित उपर्युक्त प्रावधान नहीं हो तो संबंधित सेवा/संवर्ग नियमवाली में तत्संबंधी संशोधन हेतु नियमानुसार कार्रवाई करने का निदेश भी दिया जाय।

विश्वासभाजन,

(गुफरान अहमद)
सरकार के उप सचिव।